

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
अधिसूचना

पटना, दिनांक- 25/11/18

संचिका संख्या :-17/ए 1-03/2017..... 60 (177)...../स्वा0, माननीय पटना उच्च न्यायालय में दायर समादेश याचिका संख्या-12298/2017 डा0 अरुण कुमार अग्रवाल बनाम राज्य सरकार एवं अन्य, समादेश याचिका संख्या-12428/17 डा0 खुर्शीद आलम बनाम बिहार राज्य एवं अन्य तथा समादेश याचिका संख्या-12335/17 डा0 अजीत कुमार वर्मा बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक-01.09.2017 को पारित न्यायादेश के अनुपालनार्थ माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर क्रमशः अवमाननावाद संख्या-3629/17 (डा0 अरुण कुमार अग्रवाल बनाम राज्य सरकार एवं अन्य, अवमाननावाद संख्या-3631/17 डा0 खुर्शीद आलम बनाम बिहार राज्य एवं अन्य तथा अवमाननावाद संख्या -3628/17 डा0 अजीत कुमार वर्मा बनाम बिहार राज्य एवं अन्य के आलोक में राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय के विभिन्न विभागों के निम्नलिखित प्राध्यापकों को विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा एवं मंत्रिमण्डल सचिवालय विभाग के अधिसूचना संख्या-105 दिनांक-25.01.2017 एवं संशोधित अधिसूचना संख्या -106 दिनांक-27.01.2017 के आलोक में सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति के उपरांत पूर्व में प्राध्यापक के पद पर दी गई नियमित प्रोन्नति की तिथि को परिवर्तित करते हुए कार्यकारी व्यवस्था के तहत प्राध्यापक के पद पर वेतनमान-14,300-18,300 में) उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-06 में अंकित तिथि से नियमित प्रोन्नति प्रदान की जाती है :-


| क्र0 | चिकित्सक शिक्षक का नाम | वर्तमान पद/पदस्थापन स्थान | कार्यकारी व्यवस्था के तहत दी गयी प्रोन्नति की अधिसूचना संख्या एवं योगदान की तिथि | प्राध्यापक के पद पर पूर्व में दी गई नियमित प्रोन्नति की अधिसूचना संख्या एवं तिथि | प्राध्यापक के पद पर कार्यकारी प्रभार की तिथि से प्रस्तावित नियमित प्रोन्नति की तिथि |
|------|------------------------|---|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | डा0 ए0के0 अग्रवाल | प्राध्यापक, न्यूरोसर्जरी विभाग, पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना। | 1220(17) दिनांक- 25.11.03 | 441(17) 10.06.2006 | 25.11.2003 |
| 2 | डा0 खुर्शीद आलम | प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष एनाटोमी, विभाग, पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना। | 1220(17) दिनांक- 25.11.03 | 1093(17) 15.12.2007 | 25.11.2003 |
| 3 | डा0 अजीत कुमार वर्मा | प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष पी0एम0आर, विभाग, पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना। | 1250(17) दिनांक- 01.12.03 | 405(17) 22.05.2007 | 01.12.2003 |

24/11/18

2. प्रोन्नति संबंधी अधिसूचना में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर तदनुसार आवश्यक संशोधन किया जा सकेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0/-
(सच्चिदानन्द चौधरी)
सरकार के विशेष सचिव।

- ज्ञापांक :-17/ए 1-03/2017 - 60 (17) पटना, दिनांक :- 25/11/18
- प्रतिलिपि :- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-07 को सूचनार्थ एवं राजपत्र के आगामी अंक में सी0डी0 के साथ प्रकाशनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- प्रभारी पदाधिकारी, ई0 गजट कोषांग वित्त विभाग, बिहार पटना को ई0 गजट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :-महालेखाकार (ले0 एवं ह0) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- संबंधित कोषागार पदाधिकारी, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- सभी प्राचार्य, पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- सभी संबंधित चिकित्सक शिक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के निजी सहायक/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/ विशेष कार्य पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-1, 9 एवं 17, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


24/11/18
सरकार के विशेष सचिव।